

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 1978/माघ 28, 1899
No 55] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 1978/MAGHA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1978

सा. का. नि. 76(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का धारा 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

“(7) इस नियम में इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की बाबत, राज्य काहर के आरंभिक गठन पर उसमें भर्ती ऐसी पद्धति से की जाएगी जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, और आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विहित करे।”

[सं. 11027/2/77-अ.भा. से (1)]

आर. एन. चॉपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1978

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the State of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Recruitment) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(7) Notwithstanding anything hereinbefore contained in this rule, in relation to the State of Sikkim, recruitment to the State Cadre on its initial constitution shall be made by such method, as the Central Government may, after consultation with the State Government, and the Commission, prescribe.”

[No. 11027/2/77-AIS(I)]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.